प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 13 के तहत मामलों के लिए अपेक्षाएं, प्रेस परिषद (जांच के लिए प्रक्रिया) विनियम, 1979 के विनियमन 14 और 3(2) के तहत उल्लिखित हैं:-

3(1)

(क) प्रतिवादी (प्रतिवादियों) का पूरा विवरण दें जैसे, नाम, पता, पदनाम और पूरा पता।

(ख) बताएं कि प्रतिवादी प्राधिकारियों का कार्य/निष्क्रियता प्रेस की स्वतन्त्रता को कैसे बाधित करता है। समुचित दस्तावेज़ों के साथ प्रतिवादी (प्रतिवादियों)/प्राधिकारियों के कार्य/ निष्क्रियता के लिए संभावित कारणों का उल्लेख करें।

यदि प्रतिवादी (प्रतिवादियों)/प्राधिकारियों की कार्रवाई, समाचारपत्र में प्रतिवादी (प्रतिवादियों) की आलोचना के लेख के लिए प्रतिशोध की भावना से हो तो ऐसी रिपोर्टों की कतरनें मूल रूप में या स्वतः प्रमाणित प्रतियों के रूप में उपलब्ध करायें (यदि समाचार मद (मदें) देशी भाषा में हो तो अंग्रेज़ी अनुवाद भी उपलब्ध करायें)।

(ग) प्रतिवादी (प्रतिवादियों)/प्राधिकारियों का ध्यान शिकायत की ओर दिलाएं और प्रतिवादी (प्रतिवादियों)/प्राधिकारियों को लिखे गए पत्र की प्रति उपलब्ध करायें ।

- प्रतिवादी (प्रतिवादियों)/प्राधिकारियों से उत्तर प्राप्त हुआ हो तो उसकी प्रतिलिपि उपलब्ध करायें।

(घ) सभी संबन्धित तथ्य समर्थक दस्तावेज़ों सहित, समिति के सामने रखें।

(ड़) (i) शिकायत दर्ज़ करने के लिए समय : कार्रवाई के कारण की तिथि से चार महीने

(ii) परंतु, अध्यक्ष विलंब के लिए माफ़ कर सकते हैं यदि वह संतुष्ट हों कि माफ़ी के लिए पर्याप्त कारण है।

(छ) ऊपर विनियम 3(2) में विहित रीति से घोषणा करें एवं हस्ताक्षर करें।